विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

सोमवार, 18 नवम्बर, 2024 / 27 कार्तिक, 1946 (शक्)

संख्या–158

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सातवीं विधान सभा के पाँचवें सत्र के तृतीय भाग का पुनः प्रारंभ :

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सातवीं विधान सभा के पाँचवें सत्र के तृतीय भाग की बैठक शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054 में पुनः प्रारंभ होगी।

पाँचवें सत्र के तृतीय भाग के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आबंटन :

विधान सभा की बैठक अस्थायी तौर पर **29 नवम्बर 2024 (शुक्रवार), 02 दिसम्बर 2024 (सोमवार)** एवं 03 दिसम्बर 2024 (मंगलवार) के लिए निर्धारित की गई है। कार्य की अत्यावश्यकता होने पर सदन की बैठक बढ़ायी जा सकती है।

बैठक का समय :

विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे शुरू होगी और तब तक चलेगी जब तक कि उस दिन के लिये निर्धारित कार्य समाप्त नहीं हो जाता। गणपूर्ति की घंटी नियत समय से **05 मिनट पूर्व** बजेगी ताकि सदस्य अपना आसन ग्रहण कर सकें।

बैठने की व्यस्वथाः

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन में अपने निर्धारित आसन ग्रहण करें।

दर्शक-दीर्घा : दर्शक दीर्घा पास बनाने के लिए निर्देश :

दर्शक दीर्घा पास जारी करने के लिए माननीया उपा—अध्यक्ष महोदय के निम्नलिखित निर्देशों का विवरण माननीय सदस्यों की सूचना एवं अनुपालन हेतु नीचे दिया गया है:--

- i. माननीय सदस्य दर्शक दीर्घा के लिए आगंतुकों के नामों का अनुमोदन तभी करें, जब वे आगंतुकों के पूर्ववृत्त के संबंध में व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हों।
- ii. दर्शक दीर्घा पास बनवाने के लिए प्रार्थना—पत्र तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक उनपर संबंधित विधायक के हस्ताक्षर तथा मोहर न हो तथा आगंतुकों के फोटो पहचान पत्र की विधायक द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न न हो।
- iii. पास जारी करने के लिए टेलिफोन पर किये गये अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- iv. जिस दिन के लिए दर्शक दीर्घा का पास चाहिए, उसका आवेदन पत्र उस दिन से एक कार्य दिवस पूर्व अपराह्न 05:00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किया जाए।
- v. दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक पास जारी नहीं किए जाएंगे।
- vi. दर्शक दीर्घा के लिए पास सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

रंजीत सिंह सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters) Monday, 18th November 2024/27, Kartika, 1946 (*Shaka*)

No. 158

RECONVENING OF THIRD PART OF FIFTH SESSION OF THE SEVENTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the sitting of the Third Part of Fifth Session of Seventh Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will be reconvened on **Friday**, 29th **November**, 2024 at 11:00 A.M. in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi-110054.

<u>ALLOTMENT OF DAYS FOR TRANSACTION OF BUSINESS DURING THIRD PART OF FIFTH SESSION:</u>

The sitting of the Legislative Assembly has been tentatively fixed for 29th November 2024 (Friday), 02nd December, 2024 (Monday) & 03rd December, 2024 (Tuesday). Subject to the exigencies of business, the sitting of the House may be extended.

TIME OF SITTING:

The sitting of the Legislative Assembly will commence at 11:00 AM and shall continue until the business fixed for the day is concluded. The quorum bell will be rung 05 Minutes before the time stipulated above to enable Members to take their seat.

SEATING ARRANGEMENT:

Hon'ble Members are requested to take their respective seats allotted to them in the House.

VISITORS' GALLERY:

Guidelines for issuing Visitors' Gallery Passes

The following directions of the Hon'ble Deputy Speaker regarding issuance of visitors' Gallery Passes are detailed below for the kind information and compliance by Hon'ble Members:-

- i. The Hon'ble Members should recommend the names of persons for visitors' gallery only if they are personally assured about the visitors' antecedents.
- ii. Applications for passes will not be entertained unless they bear the signature and stamp of the MLA concerned and are enclosed with copies of photo I-Cards of the visitors duly attested by the concerned MLA.
- iii. Telephonic requests for issuance of passes will not be entertained.
- iv. Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5:00 PM on the working day previous to the date for which the visitors' gallery passes are required.
- v. The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes will ordinarily be issued to a Member for each sitting.
- vi. No admission cards for the visitors' gallery will ordinarily be issued on the same day.

Ranjeet Singh Secretary